बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

सं0:–3/अ0प्र0–1–76/2020 851 /पटना, दिनांक :– 27/4/23

श्री सुरेश कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज ने उक्त प्रमंडल अन्तर्गत संवेदक नारायण कन्सट्रक्शन द्वारा निविदा आई0डी0 सं0–63867, 63868, 36870, 63875, 63876, 64614, एवं 64618 में अग्रधन के रूप में प्रयुक्त बैंक गारंटी संख्या–46/2018, 50/2018, 51/2018, 56/2018, 57/2018, 87/2018 एवं 91/2018 का State SBD की कंडिका 16.1 d में निहित प्रावधान के अनुरूप एकरारनामा संपादित होने से पूर्व सत्यापन नहीं किया और एकरारनामा को निष्पादित किया जिसकी जाँच में प्रयुक्त बैंक गारंटी को फर्जी पाया गया। साथ ही इनके द्वारा नारायण कन्सट्रक्शन को ई–टेंडरिंग एवं निविदा मूल्यांकन में 14 अदद् योजनाओं का कार्य आवंटन कर संवेदक को विशेष लाभ प्रदान किया गया। उक्त आरोपों के लिए श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोप पत्र के आधार पर विभागीय संकल्प ज्ञापांक–879 अनु0 दिनांक 29.04.2020 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी (मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग) के पत्रांक 849 अनु0 दिनांक 10.03.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन एवं मंतव्य समर्पित किया गया, जिसमें श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोपों को आंशिक रूप से प्रमाणित होने का समेकित निष्कर्ष प्राप्त हुआ।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षोपरांत इससे सहमत होते हुए संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति श्री सिंह को भेजते हुए विभागीय पत्रांक 997 अनु0 दिनांक 08.06.2022 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने का निदेश दिया गया।

इस बीच श्री सिंह के दिनांक 31.01.2022 को सेवानिवृत हो जाने के कारण आदेश ज्ञापांक–998 दिनांक 08.06.2022 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत सम्परिवर्तित किया गया है।

विभागीय पत्रांक–1242 दिनांक–26.07.2022 द्वारा स्मारोपरांत श्री सिंह द्वारा अपने पत्रांक शून्य दिनांक 01.08.2022 के माध्यम से द्वितीय बचाव बयान समर्पित किया, जिसमें श्री सिंह द्वारा मुख्यतः संचालन पदाधिकारी का निष्कर्ष, साक्ष्य एवं अभिलेख आधारित नहीं होने का उल्लेख किया गया। उनके द्वारा यह भी अंकित किया गया कि मामले में सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देश के साथ–साथ एस0बी0डी0 के प्रावधानों के आलोक में कार्रवाई की गयी एवं उनके द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है, जिसमें लापरवाही परिलक्षित हो।

श्री सिंह से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान की समीक्षा मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग से करायी गयी। मुख्य अभियंता–1 द्वारा अपने मंतव्य में यह उल्लेख किया गया कि चूँकि BG राज्य के बाहर का था अतः श्री सिंह द्वारा BG की जाँच करायी जानी चाहिए थी। जहाँ तक

26/4/2023

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org,, E-mail:Secartary rwd bihar@gmail.com,& secy-reo-bih@nic.in

प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी द्वारा इसकी जाँच नहीं कराये जाने की बात है वैसी परिस्थिति में इन्हें स्वयं अपने स्तर से कार्रवाई करनी चाहिए थी। अतः उपरोक्त बिन्दुओं पर इनके द्वारा दिया गया द्वितीय बचाव–बयान स्वीकार योग्य नहीं मानने एवं वित्तीय क्षति के संबंध में दिये गये इनके बचाव बयान को स्वीकार योग्य मानने का मंतव्य दिया गया।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री सुरेश कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज सम्प्रति सेवानिवृत के द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए इनके विरूद्व प्रमाणित आरोपों के लिए एवं वित्तीय क्षति नही होने के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 के सुसंगत प्रावधान के तहत इनके पेंशन से 05 प्रतिशत की कटौती अगले एक वर्ष तक करने की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

विभागीय पत्रांक 291 अनु0 दिनांक 03.02.2023 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से उक्त दंड प्रस्ताव पर परामर्श/सहमति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग पटना के पत्रांक–5131 दिनांक 14.03.2023 द्वारा उक्त दंड प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी।

अतः श्री सुरेश कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 के सुसंगत प्रावधान के तहत निम्नांकित शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है:–

(i) **पेंशन से अगले एक वर्ष तक पाँच (05) प्रतिशत की कटौती।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से

26/4/2023

(संजय दूबे)

विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–76/2020 852 /पटना, दिनांक :– 27/4/23

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/4/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–76/2020 852 /पटना, दिनांक :– 27/4/23

प्रतिलिपि :–सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को उनके पत्रांक–5131 दिनांक–24.03.2023 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

26/4/2023

विशेष सचिव

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org,, E-mail:Secartary rwd bihar@gmail.com,& secy-reo-bih@nic.in

ज्ञापांक :— 3/अ0प्र0—1—76/2020 852 /पटना, दिनांक :— 27/4/23

प्रतिलिपि :—माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के आप्त सचिव को माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के अवलोकनार्थ /अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/प्रभारी पदाधिकारी ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मधेपुरा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज/प्रशाखा पदाधिकारी, पशाखा—6 एवं श्री सुरेश कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज सम्प्रति सेवानिवृत पत्राचार का पताः—फ्लैट नं0—304, शिव राधिका अपार्टमेन्ट, पोस्ट ऑफिस रोड, पोस्ट—शास्त्रीनगर, जिला—पटना, पिन कोड—800023 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/4/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक :— 3/अ0प्र0—1—76/2020 852 /पटना, दिनांक :— 27/4/23

प्रतिलिपि :—विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

26/4/2023

विशेष सचिव